भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

09.03.2016 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1872.

थोरियम का गैर-कानूनी निर्यात

1872. श्री ए. टी. नाना पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु से चीन और यूरोप से वाया श्रीलंका थोरियम समृद्ध रेत के बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी निर्यात संबंधी मीडिया की रिपोर्ट देखी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेत की गैर-कानूनी तस्करी संबंधी सतर्कता जाँच का परिणाम क्या रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) हाल ही में, कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि, निजी कम्पनियों को कई मिलियन मीटरी टन मोनाज़ाइट का निर्यात करने की अनुमति दी गई है, और यह कि भारत को कई लाख करोड़ रुपए मूल्य के थोरियम की भारी मात्रा का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यह आरोप लगाया गया है कि, थोरियम के स्त्रोत, जोकि देश के तटीय क्षेत्रों में पुलिन बालुका खनिजों में पाए जाते हैं, को बड़े पैमाने पर विदेशों को निर्यात करने की अनुमति बिना सोचे विचारे दी जा रही है, और इस प्रकार भविष्य में दीर्घावधि में देश से यह स्त्रोत खत्म हो जाएंगे। ये मीडिया रिपोर्टें अधिकांशत: अटकलें, आधारहीन पूर्वानुमान, और कुछ प्रत्यक्ष गलतियाँ और भ्राँतियाँ हैं।

प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज जैसेकि गार्नेट, इल्मेनाइट, ल्यूकॉक्सीन, मोनाज़ाइट, रुटाइल, सिलिमेनाइट और ज़र्कन, जिन्हें सामान्यत: पुलिन बालुका खनिजों के नाम से जाना जाता है, पाए जाते हैं। इनमें से, मोनाज़ाइट को, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (एई एक्ट) जिसे, वर्ष 2006 में [दिनांक 20 जनवरी, 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित (57)] संशोधित किए गए अनुसार, के अधीन 'विहित पदार्थ' के रूप में परिभाषित किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने, मोनाज़ाइट सहित पुलिन बालुका खनिजों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए, देश के तटीय क्षेत्र के साथ-साथ व्यापक सर्वेक्षण किए हैं। मोनाज़ाइट का निर्यात करने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन प्रख्यापित परमाणु ऊर्जा (खान, खनिज कार्यकरण तथा विहित पदार्थ उठाई-धराई) नियम, 1984 के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) से एक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस उपबंध का उल्लंघन, 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' के अधीन एक संज्ञेय अपराध है और इसके लिए एक निश्चित अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, जोकि पाँच वर्ष की अवधि तक बढ़ सकता है, अथवा यह दण्ड जुर्माने के रूप में दिया जा सकता है अथवा कारावास और जुर्माने दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने,

मोनाज़ाइट के उत्पादन के लिए, या उसमें से थोरियम निकालने के लिए उसको संसाधित करने, या मोनाज़ाइट अथवा थोरियम के निर्यात के लिए, किसी निजी संस्था को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। पुलिन बालुका खनिजों (मोनाज़ाइट के अलावा) का निर्यात, 'खुली सामान्य अनुज्ञप्ति' के अधीन आता है, और इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से किसी प्राधिकार को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

चूंकि अन्य पुलिन बालुका खनिज तथा मोनाज़ाइट (जिसमें थोरियम मौजूद होता है) एक साथ विद्यमान होते हैं, पुलिन बालुका खनिजों का हस्तन करने वाली कम्पनियों को, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के अधीन परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लाइसेंसिंग की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी को, पुलिन बालुका खनिजों को पृथक करने के बाद पछोड़नों का निपटान, जिनमें मोनाज़ाइट मौजूद होता है, उनमें मौजूद मोनाज़ाइट की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अपनी कम्पनी के परिसर के भीतर अथवा बैकफिल के रूप में करना होता है। ये संस्थान कड़े विनियामक नियंत्रण के अधीन होते हैं। ये संस्थान, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास तिमाही रिपोर्टें भेजते हैं, जिनमें परिसर में अथवा बैकफिल के रूप में निपटान की गई पछोड़नों के बारे में बताया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के निरीक्षक इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि, लाइसेंसिंग की शर्तों का अनुपालन किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से लाइसेंस प्राप्त किए बिना मोनाज़ाइट का निर्यात करना, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 का उल्लंघन है।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाला भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे मोनाज़ाइट का उत्पादन करने और उसको संसाधित करने की, तथा घरेलू उपयोग और उसके साथ-साथ निर्यात के लिए उसका हस्तन करने की अनुमति दी गई है।

थोरियम के अलावा, मोनाज़ाइट में विरल मृदाएं भी मौजूद होती हैं। इसकी विकिरण सक्रियता और अन्य गुणधर्मों की वजह से, मोनाज़ाइट से विरल मृदाओं का निष्कर्षण करना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, जब तक कि मिश्रित विरल मृदाओं का पृथक्करण एक उपोत्पाद के रूप में किया जाए और उसके बाद थोरियम का निष्कर्षण किया जाए। 300 मेगावाट-ई क्षमता वाले भारतीय प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए थोरियम ऑक्साइड की वार्षिक आवश्यकता लगभग 5 टन होगी, और प्रारंभिक क्रोड के लिए 60 टन से कम मात्रा की एक समय में आवश्यकता होगी (जोकि विद्युत क्षमता के बढ़ जाने के बावजूद लगभग उतनी ही रहेगी)।

विभिन्न देशों के राष्ट्रीय नाभिकीय कार्यक्रमों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दस्तावेजों में उपलब्ध सूचना में, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि भारत के अलावा कोई अन्य देश, वर्तमान में प्रचालनरत रिएक्टरों में, अथवा जिन्हें भविष्य में लगाए जाने का विचार किया जा रहा है, में थोरियम का उल्लेखनीय उपयोग करने की योजना बना रहा है। अतः, यह असंभाव्य बात है कि, विदेशों में थोरियम की भारी मात्रा की मांग है। उपर्युक्त के मद्देनजर, थोरियम की भारी मात्रा का निर्यात देश के बाहर अवैध रूप से किए जाने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें, तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग)
तथा ऊपर (ख) के उत्तर के मद्देनज़र ये प्रश्न ही नहीं उठते।
(घ)

****